कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री बिन्दलास डुप्लैक्स लि0, 9.6 किमी0, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**095 / 09, 24.09.2009**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री बिन्दलास डूप्लैक्स लि0, 9.6 किमी0, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 24.09.2009 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' डुप्लैक्स बोर्ड '' पर, वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 20.03.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, सहारनपुर जोन, सहारनपुर द्वारा पत्र संख्या-1790, दिनांक 17.11.2009 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि डुप्लैक्स बोर्ड का प्रयोग यदि पैकिंग मैटेरियल के रूप में किया जाता है तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता है कि वह पैकिंग मैटेरियल है । व्यापार कर अधिनियम की भाँति उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत शासन द्वारा डुप्लैक्स बोर्ड पर वस्तु की प्रकृति को देखते हुए अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेयता निर्धारित की गयी है जिसके कारण उसे पेपर की प्रविष्टि से हटा लिया गया है जो शासन का नीतिगत निर्णय है । अत: यह अवर्गीकृत वस्तु की भाँति ही करदेय माना जाना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त पुन: ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट) वाणिज्य कर, मुजफ्फरनगर द्वारा अपने पत्र संख्या-156, दिनांक 30.05.2014 से प्रेषित बिन्दुवार आख्या में अवगत कराया गया है कि :-

1. व्यापारी के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए अन्तिम कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.04.2013 को पारित करते हुए स्वनिर्मित डुप्लैक्स बोर्ड की बिक्री पर शेड्यूल-V के अन्तर्गत कर आरोपित किया गया है जो उनके द्वारा स्वीकार किया गया है ।

2. व्यापारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 में मासिक रूप से फार्म-24 दाखिल किये गये हैं जिसमें स्वनिर्मित डुप्लैक्स बोर्ड पर दिनांक 01.04.2009 से 31.05.2009 तक 12.5% तथा दिनांक 01.06.2009 से 31.03.2010 तक 13.5% की दर से करदेयता स्वीकार की गयी है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया कि प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते समय तथा उसके पूर्व संगत वित्तीय वर्ष में नियमित रूप से सभी मासिक रूपपत्र-24 दाखिल किये गये हैं । प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत वर्ष का फार्म-26 भी प्रस्तुत किया गया है । तथा कर निर्धारण आदेश भी पारित किया जा चुका है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम

....2

रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है । इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है । इस निर्णय के अनुसार मासिक / त्रैमासिक रिटर्न रूपपत्र-24 दाखिल करते ही कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष प्रोसीडिंग पेडिंग हो जाती है । उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के अन्तर्गत यदि कोई प्रोसीडिंग पेडिंग है तो उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, सहारनपुर जोन, सहारनपुर एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट) वाणिज्य कर, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित आख्या व विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि प्रार्थी द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं वर्तमान में नियमित रूप से रूपपत्र-24 विभाग में जमा किया जा रहा है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964 AIR 766) के आलोक में मासिक / त्रैमासिक रूपपत्र-24 दाखिल करते ही कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष प्रोसीडिंग पेडिंग हो जाती है । प्रार्थी द्वारा वर्तमान में नियमित एवं समय से रूपपत्र-24 दाखिल किया जा रहा है । अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधानों के अनुसार प्रोसीडिंग पेडिंग होने के कारण प्रार्थी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है । अत: उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है जिसे अस्वीकार किया जाता है ।

6. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 12 जून, 2014

ह0 / 12.06.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।